

फर्ब अहकाम

(नियम 26)

सत्र 21-1-14 मुकाम 31/3

हुडुमाराम वनाम लवन्त राम
34/14

कदमा 88,53,188 R.T. Act नं. 05-3-14 सव

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

3-14

राज्यपाल नाम/प्राब भा-पत्र/अपील
 पत्र हुक्मो को निम्नलिखित किया जावे।
 प्रतिवादी को हुक्मो को सम्मान /
 नोटिस को पत्र को सम्मान / 10.4.14
 को पत्र हुक्म।

सहायक कलेक्टर, प्रोविन्स
 अधिकारी, प्रोविन्स

4/14

"पत्रावली पत्र हुक्म" को सम्मान प्रोविन्स
 को सम्मान प्रोविन्स को सम्मान प्रोविन्स
 दिनांक 23.4.14 (23.4.14)

अधिकारवादी वारी उपरोक्त प्रोविन्स को
 सम्मान प्रोविन्स को सम्मान प्रोविन्स
 को सम्मान प्रोविन्स को सम्मान प्रोविन्स
 दिनांक 23.4.14 को सम्मान प्रोविन्स

सहायक कलेक्टर, प्रोविन्स

6/14

अपील वारी उपरोक्त प्रोविन्स को सम्मान प्रोविन्स
 को सम्मान प्रोविन्स को सम्मान प्रोविन्स
 को सम्मान प्रोविन्स को सम्मान प्रोविन्स
 दिनांक 20/4/14 को सम्मान प्रोविन्स

सहायक कलेक्टर, प्रोविन्स

"पत्रावली पत्र हुक्म" को सम्मान प्रोविन्स
 को सम्मान प्रोविन्स को सम्मान प्रोविन्स
 को सम्मान प्रोविन्स को सम्मान प्रोविन्स
 दिनांक 5-11-14 को सम्मान प्रोविन्स



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रार्थी व उसके अधीन उपस्थित/विपक्षी
उपस्थित/अनुपस्थित लोक अदालत
में रैफर किया गया है। महमत है
अतः प्रकरण लोक अदालत में रैफर किया
जाता है पक्षकारान नम्बंक 4/1/18...को
लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहे।

पक्षकारान उप./अनु./वकील प्रार्थी/अप्रार्थी
उप./अनु। पत्रावली लोक अदालत में पेश
हुई। पक्षकारान नम्बंक 4/1/18 परन्तु
राजीनामा नहीं हुआ। अतः पत्रावली संबंधित
न्यायालय में वापिस लौटायी जाये 29/8/18

पत्रावली नम्बंक 4/1/18
न्यायालय में वापिस लौटायी जाये
दिनांक 19/11/18

29-8-18

पत्रावली नम्बंक 4/1/18
न्यायालय में वापिस लौटायी जाये
दिनांक 29/11/18

19-11-18

पत्रावली नम्बंक 4/1/18
न्यायालय में वापिस लौटायी जाये
दिनांक 10/1/19

20/1/19

18/4/19

पत्रावली पेश हुई। वकील कयी उप/लक्ष्यी
अथ कोविशों से एक मॉण्डा न्यायालय से
उपस्थित प्रकरण प्राप्त हुआ। जिससे एक
पक्षीय पक्ष सुनी गई। जिससे न्यायालय
के अनुसार अन्तिम शिष्ट जारी है। सिवाजन
प्रकरण अन्तिम शिष्ट का आदेश अन्तिम
पत्रावली के अनुसार होकर न्यायालय से
कि न्यायालय अन्तिम शिष्ट है।

न्यायालय, सोरबत

सहायक कलेक्टर औसिया

डिकी व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 21 रूल 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसेडुर कोड एपीडिक्स डी-1)

अज अदालत -सहायक कलेक्टर औसिया ।

बइजलास -रतनलाल रेंगर आर.ए.एस.

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

1 हुकमाराम पुत्र श्री फुलाराम जाति विश्णोई निवासी विष्णनगर खेतासर तहसील औसिया जिला जोधपुर ।	1 बलवन्ताराम पुत्र श्री रामचन्द्र 2 जगदीश पुत्र श्री रामचन्द्र 3 गणपत पुत्र श्री रामचन्द्र 4 केलीदेवी पत्नि श्री रामचन्द्र 5 हडमानराम पुत्र श्री कोजाराम 6 किशनाराम पुत्र श्री कोजाराम 7 खानूराम पुत्र श्री कोजाराम जति विश्णोई निवासी विष्णनगर खेतासर तहसील औसिया 8 श्री तहसीलदार औसिया ।
---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

मुकदमा नम्बर 34 / 2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू पक्षकार बहाजरी श्री चन्दनसिंह भाटी एडवोकेट मिनजानिब मुदई प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं जानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि ग्राम विष्णु नगर (खेतासर) के खसरा नम्बर 120 रकबा 46 बीघा भूमि मे वादी को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है, तहसीलदार औसिया मौके पर कबजा काशत व मीट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजन किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि बाद विभाजन प्रतिवादीगण वादी के 1/4 हिस्से की विभाजित भूमि मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, वादी को बेदखल नहीं करे और नहीं किसी से करावे तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बन्तवारा प्रस्ताव को इस डिकी का भाग समझा जावे। वाद व्यय पक्षकार अपना अपना वहन करे, उपरोक्त अनुसार डिकी जारी की जाती है। मुवलिंग.....बाबतखर्चा मुकदमे के मय सूर व शरहफिसदी सालाना आज की तारीख वसूलयागी तकको अदा करे।

बसबूत मैरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक .../.../... को जारी की गई ।

मुदई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
अर्जी दावा वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहताना वकील खर्चा गवाह मौका कमिश्नर जनाब इजराह हुकमनामा अन्य योग			स्टाम्प वकालतनाम स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराह हुकमनामा मुदफरीक योग		

नोट पर्चा खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकी के जरीये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये ।

सहायक कलेक्टर औसिया